14

रा0— /उन्तीस(2)05–2(60पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 05 ~~जुलाई~~ अगस्त 2006

विषयः—वित्तीय वर्ष 2006—07 में नगरीय पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत रामनगर नगरीय पेयजल योजना के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 532/नौ—2—(14पे0)/2001 दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा रू0 50.00 लाख एवं शासनादेश संख्या 781/नौ—2—(47पे0)/2003, दिनांक 29 मार्च, 2004 के द्वारा रू0 74.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 1501/उन्तीस(2)/05—2(25पे0)/2005, दिनांक 08.12.05 द्वारा रू0 50.00 लाख अर्थात कुल रू0 174.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। पुनः तद्विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2777/धनांवटन प्रस्ताव/दिनांक 18.07.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामनगर नगरीय पेयजल योजना हेतु रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवष्यकतानुसार किस्तों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि योजना पर पूर्व स्वीकृत समस्त धनराषि का उपयोग नही हुआ है तो योजना के लिए पूर्व स्वीकृत धनराषि का 80 प्रतिषत उपयोग हो जाने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराषि का आहरण किया जायेगा।

3— स्वीकृत धनराशि जिन निर्माण कार्यो पर व्यय की जायेगी उन कार्यो की लागत के सापेक्ष उ0 प्र0 शासन की वित्त (लेखा) अनुभाग—2 के

15

क्रमश..2

संख्या– 1637 /उन्तीस(2)/05–2/(60पे0)/2006,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ, नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जलसंस्थान देहरादून/महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, नैनीताल
6– मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ उत्तरांचल पेयजल निगम, नैनीताल।
7– वित्त अनुभाग–3/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन,।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।।
9– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
9– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10– निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

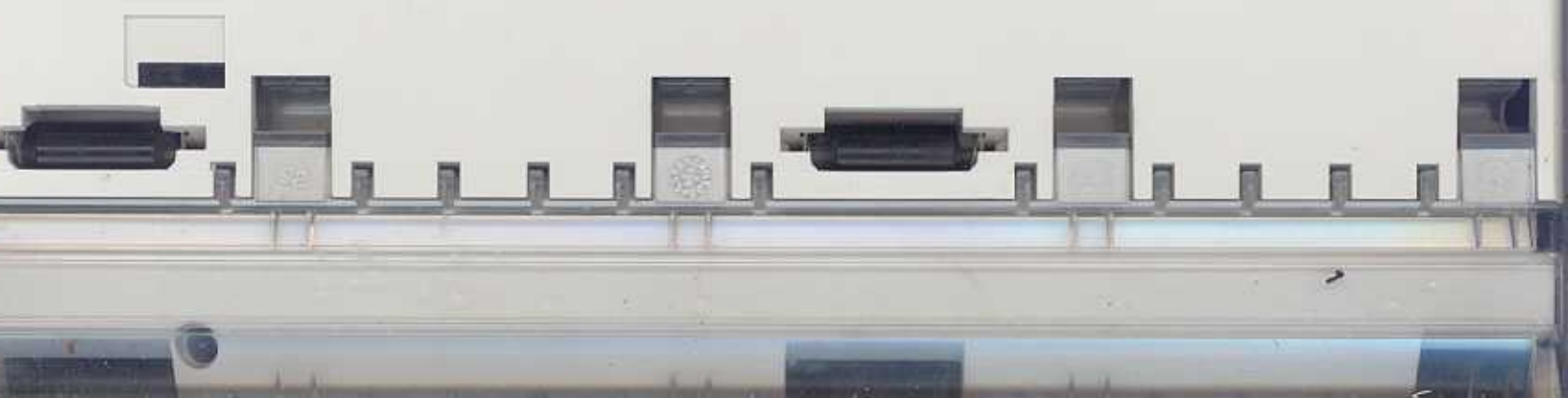

शासनादेश सं0–ए–2–87(1) दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की धनराशि ही सैंटेज चार्जेज के रूप में अनुमन्य होगी। धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यह भी सुनिश्चित कर लेंगें कि अमुक कार्यो पर पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को सामायोजित करते हुए सेंटेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक व्यय नही होगा। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन सम्बन्धित योजना के कार्यो पर ही किया जायेगा तथा धनराशि के आवंटन की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्यो की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत धनरशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति न हो अथवा जो विवादग्रस्त है। धन का उपयोग उन्ही योजनाओं पर किया जाय जिनके लिये स्वीकृति दी जा रही है । एक योजना की धनराषि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय ।

5– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किष्त अधूरी योजनाओं पर अवमुक्त की जायेगी।

7– व्यय करने के पूर्व बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों, टैंडर एवं अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजना के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान/ अंशदान /राज सहायता के नामे डाला जायेगा

9– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 77/XXVII (2)/2006 दिनांक 31 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमश. 3.